20

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 92–एक/ 2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 06–08–2004 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 537/99–2000 अपील

काजी मकबूल–उद्वीन पुत्र काजी करीमउद्वीन
निवासी मोहल्ला मुंगावली जिला अशोकनगर ––आवेदक

विरूद्ध

1– मण्डल सॅयोजक, आदिम जाति कल्याण
विभाग तहसील मुॅगावली जिला अशोकनगर
2– जिला सॅयोजक,आदिम जाति कल्याण विभाग
जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश
3– खलील खॉ पुत्र ध्यान मोहम्मद निवासी
मुंगावली तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक क–1,2 के अभिभाषक राजीव गौतम)
(अनावेदक क–3 के अभिभाषक श्री एस.जी.चिटनिस)

आ दे श

(आज दिनांक 2 – 3 –2016 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 537/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–8–2004 के विरूद्व यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदक काजी मकबूल–उद्वीन एंव अनावेदक कमांक 3 खलील खॉ ने तहसीलदार मुॅगावली को आवेदन दिनांक 19–6–1995 देकर बताया कि कस्वा रेंज परगना मुंगावली पटवारी हलका नंबर 15 स्थित भूमि सर्वे नंबर 50/1084 रकबा 2.320

हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) बन्दोवस्त के पूर्व संबत् 1999 लगायत सबत् 2013 में काजी करीम उद्धीन के नाम एंव उसके मरने के वाद उसके बारिसान मकबूल उद्धीन वगैरह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है जिन्होंने इस भूमि को अनावेदक क- 3 खलील खॉ वगैरह को विक्रय की । विक्रयपत्र के आधार पर तहसील न्यायालय ने तत्समय खलील खॉ बगैरह का नामान्तरण किया, तभी से इस भूमि पर कृषि करते आ रहे हैं, परन्तु जिला सॅयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग इसी भूमि को बिना अधिकार के नीलाम कर रहे हैं इसलिये उन्हें नीलामी से रोका जाय तथा राजस्व अभिलेख में जिला सॅयोजक के नाम की गई अवैध प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाय। तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 269 बी 121/1995-96 (अ-63ा/95-96) पंजीबद्ध किया तथा दस्तावेजी/स्थल जॉच कराकर एंव पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 05-04-1996 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि को राजस्व अभिलेख में पटवारी हलका नंबर 16 एंव पटवारी हलका नंबर 15 दोंनों पटवारी हलका में सॅधारण होना पाते हुये मौके की स्थिति अनुसार वादग्रस्त भूमि पटवारी हलका नंबर 15 में स्थित होने से इसी हलके के अभिलेख में रखे जाने तथा जिला सॅयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को भूमि नीलाम न करने के आदेश देते हुये आवेदक काजी मकबूल-उद्धीन वगैरह एंव खलील खॉ वगैरह के नाम पूर्ववत् दर्ज करने के आदेश दिये।

तहसीलदार मुंगावली के आदेश दिनांक 05-04-1996 के विरूद्ध मण्डल सॅयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मुंगावली एंव जिला सॅयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग गुना ने अपील अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 29/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-1-2000 से तहसीलदार मुंगावली का आदेश दिनांक 5-4-96 निरस्त किया तथा वादग्रस्त भूमि पूर्ववत् आदिम जाति कल्याण विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालिर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में अपील कमांक 537/1999-2000 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 6-8-2004 से अपील निरस्त की एंव अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के आदेश दिनांक 18-1-2000 को स्थिर रखा गया । इसी

आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालाय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि कस्वा रेंज परगना मुंगावली पटवारी हलका नंबर 15 स्थित भूमि स0नं0 50/1084 रकबा 2.320 है0 बन्दोवस्त के पूर्व संबत् 1999 अर्थात सन् 1943 से संबत 2013 अर्थात सन् 1956 में काजी करीम उद्धीन के नाम एंव उसके मरने के वाद उसके बारिसान मकबूल उद्धीन वगैरह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज थी, जो हैड क्लार्क तहसील मुंगावली व्दारा जारी सूची सर्वे नंबरान साविक हाल खसरा ग्राम कस्वा रेंज तहसील मुंगावली जिल्द स्वत्व लेखन सन 1956-57 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति से यह प्रमाणित है कि **" सर्वे नंबर साविक 92 का हाल सर्वे नंबर 50/1084 है खसरा संबत् 2013 अर्थात सन् 1956-57 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति की प्रविष्टि अनुसार भूमिस्वामी काजी करीम उद्धीन इत्यादि है और इस भूमि का रकबा 11 वीघा 2 विसवा है। "**

यह भी विचार योग्य है कि भूमि की विक्री तभी संभव है जबकि भूमि कृषक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज हो। मकबूल उद्धीन वगैरह ने इसी भूमि को अनावेदक कमांक 3 खलील खॉ वगैरह को जर्य विकय पत्र विकय की है जिस पर से तत्समय केतागण खलील खॉ बगैरह का नामान्तरण हुआ है उसके वाद वह वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज चले आये, परन्तु इन तथ्यों पर अनुविभागी अधिकारी मुंगावली एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने गौर नहीं किया है।

5/ अनावेदक क-1,2 के अभिभाषक ने बहस के दौरान आपत्ति की कि तहसीलदार को एक हलके की भूमि दूसरे हलके में जोड़ देने के आदेश देने की अधिकारिता नहीं है जिसके कारण ही एस0डी0ओ0 ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है जिसके कारण एडी0कमिश्नर ने एस0डी0ओ0मुंगावली के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है इसलिये यह निगरानी निरस्त की जाय। इस आपत्ति पर विचार हेतु तहसीलदार

मुँगावली के आदेश दिनांक 5-4-96 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्थिति यह है कि उन्होंने संहिता की धारा 73 अथवा धारा 90 के अंतर्गत आदेश पारित नहीं किया है अपितु मात्र खसरे में हुई भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर अपलेखन कर आ.जा.क. विभाग के नाम कर दी गई प्रविष्टि को, जो एक ही तहसील के दो पटवारी हलकों में कमशः हलका नंबर 15 एंव हलका नंबर 16 के खसरों में अपलेखन करके की गई दोहरी प्रविष्टि को स्थल की स्थिति अनुसार (भूमि किस हलके की वास्तविकरूप में है) पक्षकारों को न्यायदान की दृष्टि से संहिता की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत दुरूस्त करने का आदेश पारित किया है जो एक ही तहसील के भीतर होने से उनके अधिकार क्षेत्र में है, जिसके कारण अनावेदक क-1 व 2 के अभिभाषक व्दारा उठायी गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

6/ अनावेदक कमांक- 1,2 के अभिभाषक ने यह आपत्ति की कि वादग्रस्त भूमि पटवारी हलका नंबर 16 में स्थित है तथा उसका भूमिस्वामी आदिम जाति कल्याण विभाग है जो जमींदारी काल से भूमिस्वामी अंकित हैं। इस तथ्य की तह में जाने के लिये अभिलेख में पटवारी हलका नंबर 16 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अभिलेख सहित तहसील न्यायालय में प्रस्तुत हुई है, जसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। पटवारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट इस प्रकार है :-

- ग्राम पटटी मुंगावली के सर्वे नंबर 50/1084 का साविक नंबर 92 है। ग्राम पटटी मुंगावली के खसरा संबत 2011 लगा. 2014 (सन 1954 लगायत सन् 1957) में नोट लगाया गया है कि सर्वे कमांक (साविक) 86 लगा. 93 प0ह0नं0 15 के ग्राम कस्वा रेंज मुंगावली जाना अंकित है तथा इसी खसरे के पृष्ठ कमांक 25 पर सर्वे नं. 92 के 92/1 लगायत 92/12 बटे नंबरान अंकित हैं जो आराजी माफी जैल के नाम दर्ज है। खसरा संबत 2011 लगायत 14 के पृष्ठ 22 लगा. 24 तक ग्राम का नाम कस्वा रेंज अंकित है। पृष्ठ. में कोई गॉव का नाम अंकत नहीं है तथा सर्वे कमांक 92 के बटांकन का भी कोई हवाला नहीं है। ग्राम पटटी मुंगावली की जिन्द बंदोवस्त सं. 2013 की नहीं है। ग्राम पटटी मुंगावली के खसरा संबत 2021 लगायत 2024 तक कल्याण विभाग के नाम सर्वे कमांक 50/1084 रकबा 11 वीघा 2 विसवा अंकित छै परन्तु तीन संबत 2021 लगायत 2024 में कल्याण विभाग के नाम कोई खाता अंकित नहीं पाया गया गया है।

  संबत 2025 के खसरे में आ0जा0क0 विभाग अंकित है किन्तु बी-1 किस्तबन्दी में कोई खाता नहीं है। खसरा संबत 2026 लगायत 2030 के खसरे के खाना 3 में भी आ0जस0क00 वि0 दर्ज है बी-1 खतौनी में कोई खाता क0वि0 के नाम नहीं है। संबत 2027 से आज तक आ.नं. 50/1084 पर आ0जा0क0वि0 मीरकावाद भूमिस्वामी दर्ज चला आ रहा है। *

पटवारी व्दारा अंत में टीप दी गई है कि ग्राम पटटी मुंगावली की आ.नं.

50/1084 रकबा 2.320 है. इन्द्राज वावत रिपोर्ट खसरा एंव खतौनी बी-1 में भिन्नता है। पटवारी व्दारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट अभिलेख के आधार पर आधारित है । अतएव अभिलेख से स्पष्ट है कि जब खसरे में आदिम जाति कल्याण विभाग के भूमिस्वामी स्वत्व की प्रविष्टि ग्राम पटटी मुंगावली के खसरा संबत 2021 लगायत 2024 तक कल्याण विभाग के नाम सर्वे कमांक 50/1084 रकबा 11 वीघा 2 विसवा पर प्रथमवार दर्ज हुई है जबकि यही भूमि बन्दोवस्त के पूर्व संबत् 1999 अर्थात सन् 1943 से संबत 2013 अर्थात सन् 1956 में काजी करीम उद्धीन के नाम एंव उसके मरने के वाद उसके बारिसान मकबूल उद्धीन वगैरह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज चली आई है यह भी प्रमाणित है कि यही भूमि पटवारी हलका नंबर 15 के अलावा पटवारी नंबर 16 में लिखे चले आने के कारण पटवारी हलका नंबर 16 के तत्समय रहे खसरा संबत 2021 लगायत 2024 में आदि कल्याण विभाग के नाम की प्रविष्टि वाद में दर्ज हुई है।

इसी भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार मुंगावली ने पटवारी ह0 नं0 15 से भी स्थल एंव अभिलेख की स्थिति पर प्रतिवेदन लिया है जो दिनांक 23-1-96 को प्राप्त होकर पटवारी ने अंकित किया है वर्तमान रिकार्ड सं. 3052 वर्ष 1995-96 के अनुसार सर्वे नंबर 50/1084 की स्थिति निम्नानुसार है :-

1. स.नं. 50/1084/1 मि. रकबा 0.458 है. मकबूलउद्धीन पुत्र करीमउद्धीन हिस्सा 29 पैसे , मिसवाउद्धीन पुत्र मसीउद्धीन हि. 9 पैसे, अमीनउद्धीन, बहावउद्धीन , सिराजउद्धीन पुत्रगण मुवीनउद्धीन, आमनावेगम वेवा मुवीनउद्धीन, हवीवउद्धीन, दूरउद्धीन, शरीफउद्धीन पुत्रगण मुईनउद्धीन हि. 72 पैसे के नाम से दर्ज है।
2. सर्वे नं. 50/1084/1 मि.रकबा 0.151 हैक्टर भूमि महेन्द्रसिंह कालूखेड़ा अध्यक्ष माधव महाविद्यालय मुंगावली हि.1/2 आनन्दकुमार पुत्र बाबूलाल पालीवाल हि. 1/2 जाति ब्राहमण नि. मुंगावली के नाम से दर्ज है।
3. सर्वे नं. 50/1084/1 मि.रकबा 0.224 हैक्टर व सर्वे नं. 50/1084/1 मि. रकबा 0.027 हैक्टर भूमि खलील खॉ पुत्र ध्यान मोहम्मद के नाम से दर्ज है।
4. सर्वे नं. 50/1084/1 मि.रकबा 0.598 हैक्टर भूमि खलीलखॉ पुत्र ध्यान मोहम्मद हि. 55 पैसा (0.328) सलीम मोहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद हि. 45 पैसे (0.270) के नाम से दर्ज है।
5. सर्वे नं. 50/1084/1 मि.रकबा 0.157 हैक्टर भूमि खलीलअहमद पुत्र नामदार खां सादिक मोह0 पुत्र आशिक मोहम्मद नि.गदूली के नाम से दर्ज है।
6. सर्वे नं. 50/1084/3 मि.रकबा 0.1105 हैक्टर भूमि मस्जिद मदरसा अरबी तलीम व्यवस्थापक खलीखॉ पुत्र ध्यान मोहम्मद के नाम से दर्ज है।

कमांक 1 लगा0 6 तक के कृषक भूमिस्वामी दर्ज हैं।

पटवारी हलका नंबर 16 एंव पटवारी हलका नंबर 15 व्दारा दस्तावेजों के आधार पर एंव स्थल जॉच के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदनों की तुलना से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पटवारी हलका नंबर 15 में स्थित है एंव संबत् 1999 सन् 1943 लगायत संबत 2013 सन् 1956 के शासकीय अभिलेख में काजी करीम उद्धीन के नाम एंव उसके मरने के वाद उसके बारिसान मकबूल उद्धीन वगैरह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की है किन्तु निकट के पटवारी हलका नंबर 16 में वादग्रस्त भूमि अंकित बनी रहने से ग्राम पटटी मुंगावली के खसरा संबत 2021 लगायत 2024 तक कल्याण विभाग के नाम सर्वे कमांक 50/1084 रकबा 11 वीघा 2 विसवा पर प्रथमवार प्रविष्टि अंकित करने का तथ्य परिलक्षित है जो त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि होना इसलिये प्रमाणित है क्योंकि संबत 2021 लगायत 2024 में आदिम जाति कल्याण विभाग के नाम कोई भी खाता किस्तबंदी खतौनी में अंकित नहीं है परन्तु तहसीलदार के प्रकरण में इन तथ्यों के होते हुये भी अनुविभागी अधिकारी मुंगावली एंव अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने इन तथ्यों को नजरन्दाज किया है।

7/ अनावेदक कमांक-3 के अभिभाषक ने कार्यालय मण्डल सॅयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मुंगावली व्दारा विभाग की भूमियों को वार्षिक नीलामी के केताओं वावत् पटवारी हलका नंबर 14 को लिखे गये पत्र कमांक स्था/कृर्षि फार्म /95/134 दिनांक 27-7-1995 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया। इस पत्र के अंतिम पद में इस प्रकार लिखा है :-

" अतः आप नीलामी कर्ताओं को 50/1984 सर्वे नंबर 2.320 हैक्टर को छोड़कर उसी कम में एक-एक हैक्टर भूमि की नप्ती नीलामीकर्ताओं को कर प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत करें "

उक्त से स्पष्ट है कि जब सर्वे नंबर 50/1084 रकबा 2.320 हैक्टर को विभाग व्दारा छोड़ते हुये विभाग की शेष भूमि की नीलामी की गई है सर्वे नंबर 50/1084 रकबा 2.320 हैक्टर की भूमि विभाग की न होना प्रमाणित है एंव यह भूमि उपरोक्त पद 6 में वर्णित 1 से 6 के भूमि स्वामियों की भूमि होना प्रतीत होता है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली ने आदेश दिनांक 18-1-2000 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 537/99-2000

अपील में आदेश दिनांक 6-8-2004 पारित करते समय उक्त अभिलेखों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 537/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-8-2004 एंव अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली व्दारा प्रकरण कमांक 29/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-1-2000 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार मुंगावली व्दारा प्रकरण कमांक 269 बी 121/ 1995-96 में पारित आदेश दिनांक 5-4-96 उचित पाये जाने से वादग्रस्त भूमि पर शासकीय अभिलेख में अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के आदेश दिनांक 18-1-2000 पारित करने के पूर्व अंकित रही प्रविष्टियों को यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर